96

संख्या– — /XVIII(1)/2016–1(49)/2008

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 06 जून, 2016

विषयः– **नैनीताल में क्षतिग्रस्त कलेक्ट्रेट भवन के जीर्णोद्धार कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, नैनीताल के पत्र संख्या–23/नौ/प्रशा0अधि0नाजरात/2016–17 दिनांक 16 मई, 2016 के क्रम में शासनादेश संख्या–1505/XVIII(1)/2014-1(49)/2008 दिनांक 28 दिसम्बर, 2010, कार्यालय आदेश संख्या–437/XVIII(1)/2014-1(49)/2008 दिनांक 24 मार्च, 2011 एवं शासनादेश संख्या–840/XVIII(1)/2014-1(49)/2008 दिनांक 13 जून, 2013, शासनादेश संख्या–127/XVIII(1)/2015-1(49)/2008 दिनांक 21.01.2015 एवं शासनादेश संख्या–1080/XVIII(1)/2015-1(49)/2008 दिनांक 21 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि जनपद नैनीताल के क्षतिग्रस्त कलेक्ट्रेट भवन के जीर्णोद्धार हेतु अनुमोदित लागत ₹ 462.00 लाख के सापेक्ष उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों द्वारा क्रमशः अवमुक्त धनराशि ₹ 11.17 लाख, ₹ 194.78 एवं ₹ 50.00 लाख, ₹ 30.00 लाख एवं ₹ 80.12 लाख, इस प्रकार कुल ₹ 366.07 लाख को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹ 66.67 लाख (₹ छासठ लाख सडसठ हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. पुनरीक्षित आंगणन की अनुमोदित लागत ₹ 462.00 लाख में से ₹ 129.00 लाख के कार्यो को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधान के अनुरूप किया जाय।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
3. आहरण वितरण अधिकारियों को इस प्रतिबंध के साथ निर्वतन कर दी जायेगी की नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार किश्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।
4. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त होने पर ही नियमानुसार व्यय किया जाय।
5. निर्माण कार्यो पर अनुमोदित लागत से अधिक व्यय कदापि न किया जाय और न ही अनुमोदित आंगणन में इंगित कार्य एवं मात्रा से अधिक कार्य किया जाय।
6. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
7. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा ली जाय तदोपरान्त उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
8. आंगणन की तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति तथा आंगणन में ली गई मात्राओं विशिष्टियों डिजायन आदि के लिए कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होगी।

2–

9. निर्माण कार्यो के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की नियमित एवं सघन समीक्षा/अनुश्रवण किया जाय। व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति की आख्या प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय।
10. प्रत्येक निर्माण कार्य के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(1)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 कराया जाय, यदि कार्यदायी संस्था राजकीय विभाग भी हो तो भी समय सारणी अनुसार कार्य पूर्ण कराने की दृष्टि से निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 किया जाय।
11. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
12. आंगणन में नॉन शैड्यूल की मद में धनराशि व्यय करते समय Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
13. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. उक्त धनराशि कोषागार से तत्काल आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के (लेखानुदान 01 अप्रैल से 31 जुलाई, 2016 तक) आय–व्ययक की अनुदान संख्या–06 के लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य भवन–आयोजनागत– 051–निर्माण– 07–कलेक्ट्रेट भवनों का निर्माण–24–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31 मार्च, 2016 द्वारा प्रदत्त प्राधिकार के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

\

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

संख्या– 643 /XVIII(1)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी ओबराय मोटरर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा देहरादून।
2. महालेखाकार आडिट वैभव पैलेस, इन्द्रा नगर, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
6. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
8. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 पी0 जोशी)
अपर सचिव